राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1481/2010/नागौर

सहायक आयुक्त
वृत–नागौर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गोपाल कृष्णा ऑयल इण्डस्ट्रीज
मेडता सिटी,नागौर

प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 1482/2010/नागौर

सहायक आयुक्त
वृत–नागौर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जोगमाया ऑयल इण्डस्ट्रीज
मेडता सिटी,नागौर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री कृष्ण गोपाल खत्री
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.09.2016

निर्णय

यह दोनों अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 17 व 18/09–10/वैट/नागौर में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश 02.03.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण मूल रूप से तेल, खल का निर्माता है, जिसके निर्माण में मस्टर्ड शीड व काटन शीड का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–नागौर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) ने जांच कर पाया कि अलोच्य अवधि वर्ष 2006–07 में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 4 प्रतिशत की दर से वैट चुकाकर कच्चे माल मस्टर्ड व काटन शीड की खरीद की तथा इस प्रकार से की गई खरीद पर रू. 1,05,927/–व रू. 2,98,865/– की इनपुट टैक्स केडिट क्लेम की। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा काटन शीड आयल केक का निर्माण किया जाता है जिसमें ऑयल केक कर मुक्त है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ऑयल केक के निर्माण में मस्टर्ड शीड व काटन शीड आलोच्य अवधि में रू. 1,05,927/–व रू. 2,98,865/– की इनपुट टैक्स केडिट का क्लेम किया। कर निर्धारण अधिकारी ने द्वारा इस प्रकार से क्लेम की गई इनपुट टैक्स केडिट की राशि रू. 1,05,927/–व रू. 2,98,865/–की इनपुट टैक्स

क्रेडिट को रिवर्स कर दिया क्योंकि ऑयल केक के निर्माण में मस्टर्ड शीड व काटन शीड का उपयोग किया गया है तथा ऑयल केक कर मुक्त वस्तु है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किये जाने के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 02.03.2010 को आदेश पारित कर रिवर्स टैक्स रू. 1,05,927/–व रू. 2,98,865/– एवं उस पर आरोपित क्रमशः ब्याज रू. 14,426/– रू.8,595/–को अपास्त कर अपील स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से ये दोनों अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03** का हवाला देते हुए कथन किया गया कि उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मस्टर्ड शीड व काटन शीड की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल आयल केस की बिक्री के अनुपात में आगत कर लाभ को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण को **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 123 एस.टी.सी. 449** से आच्छादित मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को विधिसम्मत मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है एवं अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय इसी पीठ द्वारा प्रत्यर्थी के प्रकरण में ही अपील संख्या 2073/2011/नागौर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत नागौर बनाम गोपाल कृष्णा ऑयल इण्डस्ट्रीज,मेडता सिटी, नागौर के प्रकरण में पारित निर्णय को उद्धृत करते हुए बताया कि हस्तगत अपील उक्त न्यायिक दृष्टान्त से आच्छादित होने से राजस्व की ओर से अपीलें स्वीकार की जाये।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी कच्चे माल के रूप में मस्टर्ड शीड व काटन शीट प्रयुक्त करके मुख्यतः 43 प्रतिशत कर योग्य तेल तथा शेष कर मुक्त खल का निर्माण करता है, तेल के निर्माण के साथ—साथ सह उत्पाद खल का निर्माण होता है, जो बाई पोडक्टस है। उनका कथन है कि मस्टर्ड शीड व काटन शीड का प्रयोग 43 प्रतिशत कर येग्य तेल के निर्माण में होता है, जबक शेष कर मुक्त खल के निर्माण हेतु नही किया जाता है, इसलिए अधिनियम की धारा 18 के अनुसार तेल के निर्माण में प्रयुक्त किये गये कच्चे माल मस्टर्ड शीड व काटन शीड की खरीद पर चुकाया गया आगत कर का मुजरा (आई.टी.सी) स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वेट चुकाकर खरीद किये गये मस्टर्ड शीड व काटन शीड का उपयोग तेल एवं खल विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें मस्टर्ड शीड व काटन शीड कर योग्य उत्पाद हैं एवं ऑयल केस पशु आहार होने से कर मुक्त है; जिनका राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कच्चे माल के रूप में वैट चुकाकर खरीदे गये उक्त मस्टर्ड शीड व काटन शीड के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त दाल के मूल्य के अनुपात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं बिक्रीत कर मुक्त उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त मस्टर्ड शीड व काटन शीड के मूल्य के अनुपात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए निर्मित कर मुक्त आयल केस की बिक्री के अनुपात में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि रिवर्स की जाकर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित करने का आदेश दिनांक 25.03.2010 पारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में पारित किये गये अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.06.2011 द्वारा व्यवहारी के प्रकरण को **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 123 एस.टी.सी. 449** से आच्छादित मानते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स, ब्याज आरोपण के आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

इस प्रकरण के सम्बन्ध मैं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही प्रकरण से पारित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2012) 32 टैक्स अपडेट 03** के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय कर बोर्ड के **मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009** के विरूद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई **एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193–194/2009, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक** 8.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20 व 21 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :–

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the leanred counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में व्यवहारी को कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स आरोपण की सीमा तक कर बोर्ड का विवादित आदेश दिनांक 13.3.2009 अपास्त किया गया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा उद्धरित किये गये **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 123 एस.टी.सी. 449** के प्रकरणों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न होने से उक्त प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2012) 32 टैक्स अपडेट 03** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित रिवर्स टैक्स को यथावत पुनः बहाल (restore) किया जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.03.2010 को अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य